

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 986/भू अ०

दिनांक : 30/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-भौराजमुआ, थाना-देवघर, थाना सं०-670, अंचल :- मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर बाईपस (रिंग रोड) पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-भौराजमुआ, थाना-देवघर, थाना सं०-670, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 5.41 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	783	रैयती	धानी-2	0.47	रामदेव महतो वो रामलाल महतो वो कालेश्वर महतो पे० स्व० दहीचन महतो वो राजेन्द्र यादव पे० स्व० भदे महतो।	अर्जित दाग का अंश रकवा	मौजा नावा डीह, नं० 673	मौजा नावा डीह, नं० 673	अर्जित दाग का अंश रकवा
2	10	784	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव।				
3	10	782	रैयती	धानी-2	1.08	तथैव।				
4	37	779	रैयती	बाड़ी-2	0.62	दिगो तांती पे० सरजू ततवा वो भुवनेश्वर तांती वो सोना तांती पे० स्व० वरजू ततवा वो वली तांती पे० स्व० छत्री ततवा।				
5	37	778	रैयती	बाड़ी-2	0.61	भगवान तांती वो आदन तांती पे० पेरु ततवा वो द्विविया देवी पि० स्व० केटकी ततवा वो गोखुल तांती पे० स्व० साधु ततवा।				
6	37	780	रैयती	धानी-2	0.01	तथैव।				
7	35	695	रैयती	अहरी	0.15	हरदेव ओझा वो कमल देव झा वो मीरा देवी वो कृष्णा देवी पे० स्व० सत्यदेव ओझा।				
8	35	694	रैयती	धानी-3	0.86	तथैव।				
9	42	777	रैयती	बाड़ी-2	0.30	सुरेश चन्द्र यादव वो नरेश चन्द्र यादव पे० स्व० नूनलाल महतो वो कलावती देवी उर्फ सुमती देवी पे० स्व० लक्ष्मी महतो वो चुकीया देवी पति स्व० केटी महतो वो कमला प्र० यादव वा प्रमेश्वर यादव पे० स्व० रामनारायण यादव वो अकलेश्वर प्र० यादव वो गंगाधर प्र० यादव पे० स्व० जागेश्वर महतो वो बद्री महतो पे० स्व० राजकुमार महतो वो लखिया देवी पति स्व० तालेश्वर महतो वो शंकर महतो पे० स्व० धनी महतो वो कमला प्र० यादव वो अर्जून यादव वो नीलकंठ प्र० यादव वो अनिल कुमार पे० स्व० लोकनाथ महतो वो भोला				




						महतो पे० स्व० भितु महतो वो प्रदीप यादव वो मनोज यादव पे० स्व० लालजी महतो।				
10	42	776	रैयती	बाड़ी-2	0.31	शिबू महतो पे० स्व० नुनेश्वर महतो वो महेश्वर महतो वो फूलदेव महतो वो नकुल महतो वो पपु यादव पे० स्व० लखी महतो।				
11	42	775	रैयती	बाड़ी-2	0.46	केटकी देवी पति स्व० राजू महतो वो बैजू महतो पे० स्व० सरजू महतो वो भगीया देवी पति छोटन महतो वो जगु महतो वो टिपल महतो पे० स्व० शाम महतो।				
12	42	774	रैयती	बाड़ी-2	0.19	नवी महतो वो बुलु महतो पे० स्व० खेमन महतो वो अर्जुन महतो वो वरुण यादव पे० स्व० गजाधर महतो।				
13	42	772	रैयती	बाड़ी-2	0.33	झलकी देवी पे० स्व० हुरो महतो।				
कुल रकवा-					5.41					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


28/12/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 986 / भू अ0, देवघर, दिनांक 30/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


28/12/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।